

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥


पटना-15, दिनांक- 30/03/2026

सं0सं0-12/प्रतिनियुक्ति-4301/2025-सा0प्र0- 5865 /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0-5754, दिनांक-28.03.2026 के द्वारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार का दिनांक-31.03.2026 को नालंदा जिलान्तर्गत परिभ्रमण एवं प्राचीन भग्नावशेष (विश्व धरोहर स्थल), नालंदा का परिभ्रमण कार्यक्रम में विधि व्यवस्था संधारण, सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ भीड़ नियंत्रण तथा अन्यान्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के कतिपय पदाधिकारियों को दिनांक-29.03.2026 से भ्रमण कार्यक्रम के समाप्ति तक नालंदा समाहरणालय, बिहारशरीफ में प्रतिनियुक्त किया गया है।

2. उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश के क्रम संख्या-07 पर अंकित श्रीमती दुर्गेश नंदिनी, बि0प्र0से0, वरीय उप समाहर्ता, नवादा एवं क्रम संख्या-09 पर अंकित श्री ऋषिकेश तिवारी, बि0प्र0से0, वरीय उप समाहर्ता, अरवल को उक्त प्रतिनियुक्ति से विमुक्त से करते हुए उनके स्थान पर निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक-31.03.2026 से माननीय राष्ट्रपति के भ्रमण कार्यक्रम के समाप्ति तक नालंदा समाहरणालय, बिहारशरीफ में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	मोबाईल नं0
1	2	3	4
1	श्री विनोद प्रसाद, को0क्र0-911/24, पटना	वरीय उप समाहर्ता, जमुई।	9810811254
2	श्री ललन कुमार भारती को0क्र0-1034/24, जमुई	वरीय उप समाहर्ता, शेखपुरा।	8587846370

3. उक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक-31.03.2026 के पूर्वाह्न में नालंदा समाहरणालय, बिहारशरीफ में योगदान देकर जिला पदाधिकारी, नालन्दा के निर्देशानुसार कार्य करेंगे एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त स्वतः अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान कर लेंगे।




(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-12/प्रतिनियुक्ति-4301/2025-सा0प्र0- 5865 /पटना, दिनांक- 30/03/2026

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।